ई0मेल द्वारा

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई–मेलः–dghealth.uttar[illegible]hand@gmail.com,दूरभा[illegible]-0135–2608763,फैक्सः–0135–2608746

संख्या–21प / सा0 / कोविड सेल / विविध / 08 / 2020 1889 देहरादून, दिनांक 28 जनवरी, 2021

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **कोरोना वायरस(कोविड–19) महामारी के संक्रमण एवं बचाव के प्रभावी रोकथाम, नियत्रंण एवं जॉच के लिए आर0टी0–पी0सी0आर टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 87/XXVIII-1/20-01(06)/2020 दिनांक 20 जनवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें(छायाप्रति सलंग्न)। जिसके द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1806/XXVIII-1/20-01(06)/2020 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जॉच हेतु रूपये–850.00(आठ सौ पचास रूपये मात्र) एवं रूपये 900.00 (नौ सौ रूपये मात्र) की दरें निर्धारित की गयी है, को अतिकमित करते हुए, तत्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की **आर0टी0पी0सी0आर0 जॉच की पुनः अधिकतम दरें कमशः 400.00(चार सौ रूपये मात्र) व 500.00(पॉच सौ रूपये मात्र) निर्धारित की गयी हैं।**

अतः आपको उक्त शासनादेश की छायाप्रति इस निर्देशित के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप शासनादेश की तिथि से समस्त निजी प्रयोगशालाओं को आर0टी0–पी0सी0आर टेस्ट की अधिकतम दरें लागू करवाना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डॉ0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

संख्या–21प / सा0 / कोविड सेल / विविध / 08 / 2020 1890 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून।

(डॉ0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

संख्याः– 87 /XXVIII–1/21–01(06)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक २० जनवरी, 2021

विषयः आर0टी0पी0आर0 टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुनर्निधारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–15प/भण्डार/3/2020/11 दिनांक 16 जनवरी, 2021 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1806/XXVIII–1/20–01(06)/2020 दिनांक 26 नवम्बर,2020 जिसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की जॉच हेतु क्रमशः रू0 850/– एवं रू0 900/– दरें निर्धारित की गई है; को अतिकमित करते हुए, तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0–पी0सी0आर0 जांच हेतु अधिकतम दर निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु अधिकतम धनराशि	
सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की दर *	₹ 400/–(चार सौ रूपये मात्र) जी0एस0टी0 सहित
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर ** (Pickup, packing transportation of samples, documentation and reporting)	₹ 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) जी0एस0टी0 सहित।

* प्रयोगशाला तक सैम्पल पहुचाने की जिम्मेदारी सैम्पल लेने वाले चिकित्सालयों की होगी।

** निजी प्रयोगशालओं द्वारा स्वंय एकत्र किये जाने वाले सैम्पल के लिए निर्धारित अधिकतम दर का भुगतान सम्बंधित व्यक्ति जिसका टेस्ट किया जाना हो, द्वारा ही वहन किया जायेगा।

2– निजी प्रयोगशालाओं को सभी रिपोर्ट सी0टी0 वैल्यू के अंकन के साथ उपलब्ध करानी होगी। गुणवत्ता आडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशालाओं हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3– निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु उक्त निर्धारित दरों से अधिक धनराशि

177
W(Stue)/DW/MW(Covid)
21/01/2021
AD (Covid)
21/1/2021
ADD. JD Covid/P.S.Kandpal
22/01/2021

(यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई0सी0एम0आर0 द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)/XXVIII–1/21–01(06)2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक,चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उपसचिव।